

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर - 3

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपञ्च

क्रमांक ४७) कार्यालय मुजाहिक रिपोर्ट पटवारी एवं (गजा) स्वयं के लिये पत्र के आधार पर दिनांक

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी लोकेश कुमार बहू सुपुत्र/सुपुत्री/परम्पर्ती श्री कुमार कुमार बहू गांव/नगर करुड़ा ज़िला/दिवीजन मुम्बई जाति/समुदाय मुम्बई ८८ जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1951; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वी शेर्पा (पुनर्गठन अधिनियम, 1971); और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किए गये अनुसार। करुड़ा S.C.
- संविधान (जामू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- संविधान (दादर तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागरेंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमती/कुमारी लोकेश कुमार बहू गांव/नगर करुड़ा ज़िला/दिवीजन मुम्बई परिवार करुड़ा गांव/नगर करुड़ा ज़िला/दिवीजन मुम्बई और/अथवा उम्मा
राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र राजस्वान में सामान्यता रहता है।

स्थान—
दिनांक—

तहसील समानदार
ज़िला-मुम्बई (गजा)

- कृपया उन शब्दों को काट दीजिए जो लागू नहीं होते।
लिखें— यहां पर प्रयुक्त 'सामान्यता' रहता है, कि अर्द वही होगा जो प्रतिनिधि अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।